

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

**विषय:-** वैट अधिनियम के अन्तर्गत एकपक्षीय कर निर्धारण आदेशों के सम्बन्ध में दिशा-  
**निर्देश।**

उत्तर प्रदेश वैट ऐक्ट 2008 की धारा-25, 26, 28 एवं 29 के अन्तर्गत कर निर्धारण करते समय अनेकों बार यह स्थिति सामने आती है कि बार-बार नोटिस दिये जाने एवं तामील होने के उपरान्त भी व्यापारी कर निर्धारण की कार्यवाही हेतु उपस्थित नहीं होते हैं। अतः वाद को कालबाधित होने से बचाने हेतु अधिकारी के पास एक मात्र विकल्प शेष रहता है कि वाद में एकपक्षीय रूप से कर निर्धारण की कार्यवाही सम्पन्न की जाय। अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि कतिपय कर निर्धारण अधिकारी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर गुण-दोष के आधार पर मामलों का परीक्षण न करके एकपक्षीय रूप से कर निर्धारण आदेश पारित कर देते हैं, जो कि आपत्तिजनक है। वस्तुतः फर्म/ व्यापारी की अनुपस्थिति में एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित करते समय कर निर्धारण अधिकारी का दायित्व और बढ़ जाता है। अतः पूर्व में भी इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं कि यदि किसी व्यापारी/ फर्म पर कर निर्धारण आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है तो आदेश पारित करने से पूर्व व्यापारी/ फर्म के व्यापार स्थल की जाँच कर ली जाय तथा उसके विरुद्ध एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/ तथ्यों व व्यापार स्थल की जाँच के परिणाम के आधार पर पारित किये जायें।

एकपक्षीय आदेश का यह अर्थ कदापि नहीं है कि मनमाने तरीके से व्यापारी के विरुद्ध कर आरोपित कर दिया जाय तथा अनुचित माँग सृजित की जाय क्योंकि इस तरह के आदेशों से विभाग की छवि धूमिल होती है। यदि ऐसे आदेशों के क्रियान्वयन में वसूली प्रमाण पत्र निर्गत हो जाता है तो उससे अनावश्यक माँग बढ़ जाती है तथा वाद धारा-32 में खुल जाने पर वसूली प्रमाण पत्र वापस लेने एवं माँग कम करने की कठिनाई भी उत्पन्न होती है।

अतः कृपया अपने जोन के समस्त कर निर्धारक अधिकारियों को उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में निर्दिष्ट करते हुए उन्हें यह संसूचित करें कि एकपक्षीय रूप से कर निर्धारण आदेश पारित करने योग्य मामलों में उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में विशेष सावधानीपूर्वक उसके गुण-दोष के आधार पर सम्यक परीक्षण करके ही कर निर्धारण आदेश पारित करें। उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को गम्भीरतापूर्वक लेते हुए सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(चन्द्रभानु)  
कमिशनर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

